



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUBOGEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Smt. Ranjanben Dhananjay Bhatt** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 98 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	DEV BAROT	JATINBHAI BAROT MOB- 9687626003	4	NO. 2 EME VADODARA
2	NIDHI SHAH	PINAKIN SHAH MOB- 9879776211	2	NO. 2 EME VADODARA
3	PRISHA PARMAR	DAXESH PARMAR MOB- 9998981039	1	NO. 2 EME VADODARA
4	PRATHAM SHARMA	VIKAS SHARMA MOB- 9377548515	1	NO. 2 EME VADODARA
5	AANYA PATEL	KRUNAL PATEL MOB- 9429081008	1	NO. 3 AFS MAKARPURA
6	SHRIDATT PATEL	JIGNESHBHAI PATEL MOB- 8141884047	5	NO. 2 EME VADODARA
7	PRANJAL GOHIL	CHIRAG GOHIL MOB- 9879545565	3	NO. 2 EME VADODARA
8	DHIYAN SONAWANE	ALPESHKUMAR SONAWANE MOB- 9909966395	1	NO. 3 AFS MAKARPURA
9	GAUTAM CHARAN	HEMUBHAI CHARAN MOB- 8271372233	7	NO. 2 EME VADODARA
10	KUSH SHAH	HEMANT SHAH MOB- 7016895184	2	NO. 1 HARNI VADODARA

A. J. J.
 कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Smt. Ranjanben Dhananjay Bhatt माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **AHMEDABAD** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)